भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1639

13.02.2023 को उत्तर के लिए

पुराने वाहनों द्वारा प्रदूषण

1639. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कोई अधिदेश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास 15 वर्ष से अधिक पुराने और प्रदूषण जांच (पीयूसी) में सफल हो चुके वाहनों की संख्या का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने यथासंशोधित केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 2019 की धारा 59 के तहत वाहनों की मियाद तय करने और अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उपबंध किए हैं। मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 अधिसूचित किया गया है जिसमें वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीकरण की प्रक्रिया, वाहनों की स्क्रैपिंग के मापदंड, स्क्रैपिंग की प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुराने वाहनों के निपटान के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए 'ईएलवी के संचालन, प्रक्रमण और पुनर्चक्रण के लिए पर्यावरणीय अनुकूल सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश, 2019' तैयार किए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने यह अधिदेशित किया है कि वाहन निर्माता दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से केवल बीएस-VI वाहनों का विनिर्माण, बिक्री और पंजीकरण करेंगे। वर्ष 2016 में किए गए एक अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि वर्ष 2015 तक 87 लाख से अधिक वाहनों की मियाद समाप्त हो चुकी थी और यह संख्या वर्ष 2025 तक बढ़कर 2.18 करोड़ हो जाएगी। सरकार, केन्द्रीय मोटर यान (संशोधित) नियम, 2021 के अनुपालन में नए प्रदूषण नियंत्रित प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की व्यवस्था को लागू कर रही है।

****